

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनूं (राज०)
मुकदमा किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
35/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 26.06.2019 11.09.2019

उनवान सरकार बनाम बलराम पुत्र गोकुलराम जाति कुमावत निवासी पिठौला महौला
सिंधाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सिंधाना ने सम्वत 2075 में इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सिंधाना की राजकीय भूमि ख० न० 306, 305 कुल रकबा 0.19
व 0.22 है० किस्म बरानी 2 मे से 11 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी बलराम पुत्र गोकुलराम
जाति कुमावत निवासी पिठौला मोहल्ला सिंधाना में अवैध रूप से दुकान व चबूतरा बनाकर
अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी
को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी
द्वारा राजकीय भूमि में दुकान व चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये
जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से
बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से दुकान व चबूतरा बनाकर
अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख०
न० 306, 305 लगान 0.07 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4/- बतौर शास्ति कायम किये जाते
है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्तो जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंधाना

मुकदमा नं० 35/2019
दिनांक 11.09.2019